न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—202 / 2018(जीसीएमएस नं. 2018 / 00238)

1. बच्चन सिंह पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी बासमाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी बासमाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2. अमर सिंह पुत्र खेमचन्द,
3. चान्दकौरी पत्नि खेमचन्द,
4. हरबाई पत्नि सज्जन सिंह,
5. वीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह,
6. संदीप सिंह पुत्र सज्जन सिंह समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बासमाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
8. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा गुढागौडजी जिला झुन्झुनू।

——रेस्पाडेन्टान

उपस्थितिः—
1. **श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री मदनलाल कूडी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 26.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ने प्रकरण के विवादित मुददों को एवं विधिक प्रावधानों को कतई सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही तथा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपना अनुचित, अवैध तथा परवर्स व एकपक्षीय निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी भूमि खसरा नंबर 98 से 100, का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने सुनवाई का एवं अपना पक्ष

P.T.O.

प्रस्तुत करने, साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का कतई कोई अवसर, नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पाडेन्ट संख्या एक रामस्वरूप ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के समक्ष दिनांक 18.1.2018 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128, 110, 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर आगामी तारीख पेशी वास्ते तलबी दिनांक 19.02.2018, 08.03.2018 व दिनांक 23.03.2018 की तारीख पेशीयां नियत की गई एवं तारीख पेशी 23.03.2018 से आगामी तारीख पेशी 10.04.2018 नियत की गई और दिनांक 10.04.2018 को आगामी तारीख पेशी 24.04.2018 वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 7 व तलबी अप्रार्थी संख्या 9 नियत की गई, किन्तु नियत तिथि 24.04.2018 को पत्रावली तारीख पेशी में ही नहीं आई एवं अचानक दिनांक 29.05.2018 को अपीलार्थी को बिना तारीख पेशी 29.5.2018 का कोई नोटिस दिये बिना व जवाबदेही का तथा साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट भाटीवाडा में प्रार्थी के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय जैर अपील पारित करने में परीक्षंण न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, उदयपुरवाटी के समक्ष तथाकथित एकपक्षीय सीमाज्ञान रिपोर्ट के विरूद्व दिनांक 25.07.2017 को लिखित में आपत्तियां प्रस्तुत की थी जिनके संबंध में तहसीलदार व परीक्षण न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया एवं तहसीलदार ने भी अपीलार्थी के समक्ष सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार नहीं की, एवं ना ही तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलार्थी को बुलाया है तथा ना ही अपीलार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना ही किया तथा ना ही अपीलार्थी ने दक्षिणी सीमा को मिटाने का कभी भी प्रयास नहीं किया तथा परीक्षण न्यायालय स्वयं ने अपने निर्णय जैर अपील में रेस्पाडेन्ट संख्या एक को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अनुतोष नहीं दिया। परीक्षण न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सही अर्थो में पढने का कष्ट तक नहीं किया, जब स्वयं परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में दोनो नक्शों की नक्शाशीट समान होना मानकर नक्शा शीट में दुरूस्ती किये जाने का कोई औचित्य नहीं होना मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को धारा 136 का अनुतोष नहीं दिया, दूसरे अपने निर्णय के विरूद्व ही प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने में न्यायालय ने अपना विरोधाभाषी निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार

P.T.O.

की जाकर निर्णय जैर अपील परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी दिनांक 29.05.2018 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पाडेन्ट संख्या एक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः उभयपक्ष की सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने बाबत दौराने बहस अपनी सहमति दी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में दिनांक 10.04.2018 को वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 7 की तलबी हेतु दिनांक 24.04.2018 नियत की गई थी और दिनांक 24.04.2018 को पत्रावली में किसी प्रकार की आदेशिका नही लिखी गई और सीधे ही पत्रावली दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट भाटीवाड़ में पेश होकर अपीलार्थी को बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
26/12/22